प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला–भ्र.नि.ब्यूरो, इन्टै. अजमेर (राज.), थाना– सीपीएस, भ्रनिब्यूरो, राजस्थान जयपुर वर्ष 2023
प्र.ई.रि.सं.....208/2023 दिनांक 2/8/2023

2.–(1) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें ..... 7.....
(2) अधिनियम..... धारायें ....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....30.....समय.....3:05 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– मंगलवार, दिनांक 01.08.2023, समय 10.52 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 26.07.2023, समय 3.00 पीएम

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी–बजानिब पूर्व बफासला 27 किलोमीटर यूनिट भ्रनिब्यूरो इन्टै. अजमेर से
(ब) पता – पटवार संघ विश्रांति गृह किशनगढ जिला अजमेर .....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री बालुराम, उम्र 32 वर्ष, जाति जाट, निवासी बीती तहसील किशनगढ जिला अजमेर**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– लोन व्यवसाय एजेण्ट

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्रीमती अंजू सैनी पत्नी वेदराज गहलोत, जाति माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी डेयरी के पास, बालाजी मंदिर के सामने घुघरा घाटी अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–
ट्रेप राशि रूपये 2000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 2000/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टैलीजेंस यूनिट अजमेर (राज)

विषयः– रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथ पकडवाने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा नाम अर्जुन लाल पुत्र श्री बालुराम जाती जाट आयु 32 वर्ष निवासी गांव बीती तहसील किशनगढ, जिला अजमेर का रहने वाला हुं मेरी बहिन मनराज पत्नि स्व.श्री करतार जाट निवासी कुम्हारोकी ढाणी छोटा लाम्बा अराई ने बीती गांव में दिनांक 17.07.2023 को मुलसिंह राजपुरोहित निवासी बीती से खसरा संख्या 447/167 रकबा 1.0113 हेक्टयर में से उसका हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टी राशी 3 लाख रूपये मे खरीदी गई कृषी भुभी का म्यूटेसन खुलवाने के लिऐ एक प्रार्थना पत्र एवं रजिस्टरी कि पोटुकापी तहसील कार्यलये में किशनगढ में पेस की तथा प्रराथना पत्र व रजीस्टरी की पोटु कोपी तहसील कार्यालय किशनगढ में जमा करवा दी उसके बाद आज सवेरे श्रीमति अंजु शर्मा पटवारी हल्का बीती का मेरे मोबाईल पर मो. नं. 9887688334 पर उसके मो. नं. 8302673416

से फोन किया तथा कहा कि मै पटवार भवन विसानती भवन आई आप आजाओ तो में पटवारी अंजु शर्मा से जाकर असके कार्यालय मे जाकर मिला तो पटवारी जी ने मेरे से रजीस्टरी एवं दस्तावेज कि फोटू कोपी मांगी तो मेने दे दी इसके बाद श्रीमति अजु शर्मा ने कहा की आपको म्युटेशन खुलवाना है तो 3000/. दे दो दो दिन मे काम कर दुगी तो मेने उसको कहा था मेरे पास पैसे नही है तो पटवारी जी ने कहा जितने है उतने दे दो लेकीन मेने पटवारी जी से हाथा जोडी कि कि मेरी विधवा बहिन का मामला है आप म्युटेशन खोल दो लेकीन उसने कहा कि 3000/. रू लेके आ जावो नहीं तो आपका काम नहीं होगा।

श्रीमति अजुं पटवारी को मेरे जायज कार्य की एवज में 3000/ रू रिश्वत की मांग रही है ऐसे में भष्ट पटवारी को रिश्वत रासि नही देना चाहता है। मेरी श्रीमति अंजु पटवारी से कोई रंजीस नही है । ओर नही कोई लेन–देन बकाया है।

रिपोट पर आवश्यक कानुनी कार्यवाही कर मुझे राहत प्रदान करे।

दिनांक 26.07.2023

दतावेज

(1) सवय की आधर कार्ड कोपी

(2) विक्रय पजियन

(3) तहसील में प्रार्थना पत्र की फोटू कोपी

प्रार्थी
नाम– अर्जुन लाल
पिता का नाम– बालुराम
उम्र– 32 वर्ष जाति जाट
निवासी– बीती
Mo 9887688334

<u>कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै. अजमेर</u>

दिनांक 26.07.2023 समय 3.00 पीएम पर परिवादी श्री अर्जुनलाल पुत्र श्री बालुराम, उम्र 32 वर्ष, जाति जाट, निवासी बीती तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक तहरीरी रिपोर्ट मन उप अधीक्षक पुलिस पारसमल के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में दरियाप्त की गई तो परिवादी ने बताया, मैं दसवीं तक पढा लिखा हूं तथा उक्त तहरीरी रिपोर्ट मैंने स्वयं ने मेरे हाथ से लिखी है। पूछताछ पर बताया कि मेरी बडी बहन मनराज पत्नी स्व. श्री करतार जाति जाट निवासी कुम्हारों की ढाणी, छोटा लाम्बा अराई जिला अजमेर में बीती गांव में दिनांक 17.07.2023 को मूलसिंह राजपुरोहित से खसरा संख्या 447/167 रकबा 1.0113 हैक्टयर में से उसका हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्ट्री 3.00 लाख रूपये में खरीद की है। जिसका म्यूटेशन खुलवाने के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 25.03.2023 को एक प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री की फोटो कोपी तहसील कार्यालय किशनगढ में तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा संबंधित दस्तावेज किशनगढ तहसील कार्यालय में जमा करवा दिये। उसके बाद आज दिनांक 26.07.2023 को सुबह 9.40 एएम के करीब मेरे मोबाईल नम्बर 9887688334 पर श्रीमती अंजु शर्मा पटवारी पटवार हल्का बीती का मोबाईल नम्बर 8302673416 से फोन किया तथा कहा कि मैं पटवार भवन आ गई हूं आप आ जाओ तो मैं पटवारी श्रीमती अंजु शर्मा के कार्यालय किशनगढ में जाकर मिला तो पटवारी जी ने मेरे से रजिस्ट्री एवं दस्तावेज की फोटो कोपी मांगी जो मैंने दे दी। इसके बाद श्रीमती अंजू शर्मा कहा कि आपको म्यूटेशन खुलवाना है तो 3000 रूपये दे दो, दो दिन में काम कर दूंगी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो पटवारी जी ने कहा जितने है उतने ही दे दो अभी, तो मैंने पटवारी जी से काफी हाथाजोडी की कि मेरी विधवा बहन का मामला है आप म्यूटेशन खोल दो, लेकिन उसने कहा कि 3000 रूपये लेकर आ जाओ नहीं तो आपका काम नहीं होगा। मैं मेरे जायज कार्य के एवज में पटवारी श्रीमती अंजू शर्मा को 3000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी पटवारी श्रीमती अंजू शर्मा से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई

लेनदेन बकाया है। परिवादी द्वारा स्वयं का आधार कार्ड, दिनांक 17.07.2023 को उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ में केता श्रीमती मनराज के नाम से तैयार विक्रय विलेख पत्र तथा तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामांकन खुलवाने हेतु कि फोटो कोपी स्वयं प्रमाणित प्रस्तुत की। दरियाप्त एवं मजमून रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी से आरोपिया श्रीमती अंजू शर्मा पटवारी से उसके कार्यालय में जाकर रिश्वत राशि मांग के सत्यापन करवाये जाने के संबंध में बताया तो परिवादी ने कहा कि उसने मुझे कल दिनांक 27.07.2023 को सुबह ऑफिस समय में बुलाया है। श्रीमती अंजू शर्मा मेरे से रिश्वत राशि एवं मेरे कार्य के संबंध में सुबह ही बाद करेगी। मैं कल उसके कार्यालय में जाकर रिश्वत राशि मांगे जाने के संबंध में वार्ता कर लूंगा। परिवादी के बताये अनुसार आज रिश्वत राशि मांग का सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परिवादी को कल सुबह 9.00 एएम पर कार्यालय में अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने एवं कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बनाये रखने के संबंध में हिदायत देकर पाबंद कर रवाना किया गया। कार्यालय स्टॉफ को प्रातः 9.00 एएम पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। एसडी पारसमल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै. अजमेर। दिनांक 27.07.23 समय–9.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनलाल कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि मैं आज श्रीमती अंजू शर्मा से उसके कार्यालय में जाकर मेरे कार्य एवं रिश्वत राशि मांगे जाने के संबंध में वार्ता कर लूंगा। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय के कानिस्टेबल श्री भरतसिंह नं. 18 को कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया तथा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत करवाया तथा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकोर्डर निकलवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर को चालु व बंद करने की प्रकिया समझाई गई। तत्पश्चात् कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक श्री संदेश कुमार से एक नया मैमोरी कार्ड इश्यू करवाया। जिस पर श्री संदेश कुमार द्वारा एक 32 जीबी का नया मैमोरी कार्ड Sandisk लाकर मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी डिजिटल वॉईस रिकोर्डर में लगाया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के मांग सत्यापन वार्ता करवाये जाने के संबंध में परिवादी को जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। कानिस्टेबल श्री भरतसिंह नं. 18 को निर्देश दिये कि आप परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास पहुंचने से पूर्व एवं वार्ता से पहले डिजिटल वॉईस रिकोर्डर को चालु कर सुपुर्द किया जावे। परिवादी ने बताया कि पटवारी मैडम बिना रूपये लिये मेरा चालु नहीं करेगी तथा अभी उससे बात करते समय कुछ रूपये उसे देने पडेंगे। इस पर परिवादी के कहे अनुसार उसके पास उपलब्ध 500–500 रूपये के दो नोट जिनके नम्बर कमशः 6NG374196 व 2LN874226 की फोटो कोपी करवाई जाकर परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त नोट परिवादी की जेब में रखे गये। परिवादी श्री अर्जुनलाल, श्री भरतसिंह कानि. नं. 18 एवं उसके सहयोग हेतु श्री हुकमाराम कानि. नं. 385 को वास्ते मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी की प्राईवेट कार से किशनगढ की तरफ रवाना किया। समय 12.30 पीएम पर श्री भरतसिह कानि0, श्री हुकमाराम कानि. मय परिवादी श्री अर्जुनलाल के उपस्थित कार्यालय आये तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मुझ उप अधीक्षक के सुपुर्द किया। कानि0 श्री भरतसिह ने बताया कि "मै एवं हुकमाराम परिवादी की प्राईवेट कार से कार्यालय से रवाना होकर समय 10.30 एएम पर किशनगढ स्थित यज्ञ नारायण अस्पताल के पास पहूँचकर परिवादी के मोबाइल से सदिग्ध पटवारी श्रीमति अंजू शर्मा के मोबाइल नं0 8302673416 पर वार्ता करवाकर उसकी लोकेशन जाननी चाही तो पटवारी श्रीमति अंजू ने परिवादी को फोन पर बताया कि दो मिनट में आ रही हूँ, जिसको मैने परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की। तत्पश्चात वहॉ से थोडा आगे पटवार विश्रान्ति भवन के पास पहूँच कर मैने रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को

संदिग्ध अधिकारी श्रीमति अंजू शर्मा से रूबरू वार्ता हेतु रवाना किया गया तथा मै अपनी तथा कानि0 हुकमाराम अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पटवार विश्रान्ति भवन के आस–पास ही मुकिम हुए तथा परिवादी के कार्यालय से बाहर आने का इंतजार किया। समय 11.27 एएम पर परिवादी पटवार विश्रान्ति भवन से बाहर आया जिससे मेरे द्वारा रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित रखा। मैने रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुना तथा वार्ता रिकॉर्ड होने तथा आरोपिया श्रीमति अजूंशर्मा द्वारा 3000 रूपये रिश्वत मांग कर 1000 रूपये परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा आपको समय 11.45 एएम पर रिकॉर्ड हुई वार्ता के संबंध में सूचना दी।" इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित परिवादी से वार्ता की तो बताया कि "मैं, कानि0 श्री भरतसिह एवं श्री हुकमाराम के साथ आपके कार्यालय से मेरी प्राईवेट कार से रवाना होकर यज्ञनारायण अस्पताल के पास पहूँच कर पटवारी श्रीमति अंजूशर्मा से मोबाइल से वार्ता कर उसकी लोकेशन जाननी चाही तो उसने मुझे कहा कि मै दो मिनट में आ रही हूँ। पटवारी के कार्यालय में आने के संबंध में वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वहॉ से हम लोग पटवार विश्रान्ति भवन के थोडा पहले पहॅचे जहॉ पर श्री भरतसिंह जी ने मुझे वॉइस रिकॉर्डर चालू करके दिया जिसको मैने अपने पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में रख लिया। श्री भरतसिह जी एवं हुकमाराम जी मेरी गाडी से उतर गये इसके बाद मै गाडी से पटवार विश्रान्ति भवन के पास पहूँचा तथा पटवारी से वार्ता हेतु उसके कार्यालय में पहूँचा तो उस समय पटवारी श्रीमति अंजू शर्मा कार्यालय में उपस्थित नही मिली, जिस पर मैने दुबारा फोन किया तो कहा कि बैठो आप दो मिनट में आ रही हूँ। फिर मैने उसके कार्यालय में इंतजार किया तो थोडी बाद श्रीमति अंजू शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में आ गई । जहॉ मैने अपने कार्य के संबंध में वार्ता की तो पहले कहा कि दो–चार दिन में कर दूंगी, फिर कहा कि पॉच तारीख कर दूंगी पॉच तारीख के पहले फोन मत करना। इसके बाद अंजूशर्मा ने कहा कि पकडा मत देना मेरे बाल बच्चे है, इसके बाद अजूं शर्मा ने मेरे से 3000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस मैने कहा कि मेरे पास तो 1000 रूपये ही ही, इसके बाद पटवारी जी ने मेरे से 1000 रूपये प्राप्त कर लिये, तथा कहा कि एक हजार और दे दो। तो मैने कहा कि मेरे पास अब तो दस रूपये ही है, तो उसने कहा कि कल परसो दे जाना , इसके बाद मै पटवार विश्रान्ति भवन से बाहर आकर मैने वॉइस रिकॉर्डर श्री भरतसिंह जी को संभला दिया तथा इसके बाद मेरी कार से अजमेर के लिये रवाना हो गये।" तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को चालू कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्ठि हुई। आरोपिया श्रीमति अंजूशर्मा द्वारा परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत की मांग कर 1000 रूपये प्राप्त लिये तथा 1000 रूपये कल परसो में देने हेतु कहा गया। उपरोक्त दर्ज वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। अग्रिम कार्यवाही आइन्दा की जायेगी । परिवादी को हिदायत दी की जब कभी भी पटवारी श्रीमति अंजु शर्मा का फोन आये,या आपको बुलावे तो मुझ उप अधीक्षक को सूचित करे। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 31.07.2023 समय 7.25 एएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि पटवारी अंजू शर्मा का फोन आया तथा उसने मुझे कहा है कि आपने जो रजिस्ट्री की कोपी दी जो गुम हो गई है इसलिए रजिस्ट्री की एक कोपी और लेकर आज बुलाया है। इस पर कार्यालय के श्री हुकमाराम कानि. को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकोर्डर जिसमें पूर्व में सत्यापन वार्ता रिकोर्ड है देकर परिवादी से सम्पर्क कर पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु बजानिब किशनगढ रवाना किया गया। समय करीब 10.45 एएम पर श्री हुकमाराम कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी व आरोपिया पटवारी अंजू शर्मा की आपस में बात हो गई है तथा आरोपिया ने परिवादी को 2000 रूपये लेकर कल दिनांक 01.08.2023 को बुलाया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रैप कार्यवाही आयोजन हेतु दो

स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से एवं मन उप अधीक्षक पुलिस का राजकार्य से जयपुर होने से श्रीमती कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस को दो स्वतंत्र गवाह की तलबी किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। समय 8.50 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस जयपुर से उपस्थित कार्यालय आया। श्री हुकमाराम कानि. ने डिजिटल वॉईस रिकोर्डर सुपुर्द करते हुए बताया है कि "कार्यालय से रवाना होकर मैं किशनगढ पहुंचा एवं परिवादी से मिला। परिवादी ने आरोपिता पटवारी अंजू शर्मा से बात की तो उसने पटवार विश्रांति घर में ही बुलाया जिस पर हम दोनों होकर पटवार विश्रांति घर किशनगढ के बाहर पहुचे। मैंने परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर चालु कर सुपुर्द कर विश्रांति घर के लिये रवाना किया। परिवादी वार्ता कर वापस आया और बताया कि मैंने मेरी बहन की जमीन की रजिस्ट्री की फोटो प्रति पटवारी को दे दी उसने मुझसे 2000 रूपये मांगे और कल बुलाया है। मैंने निर्देशानुसार परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकोर्डर प्राप्त कर परिवादी को किशनगढ ही रूकसत कर कार्यालय में आया।" डिजिटल वॉईस रिकोर्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो 2000 रूपये रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी अर्जुनलाल को सुबह 7 बजे कार्यालय में उपस्थित होने बाबत जरिये दूरभाष बताया। स्वतंत्र गवाह हेतु तलब किये गये कर्मचारी श्री नरेश गुर्जर सहायक प्रोग्रामर, श्री प्रदीप परिहार सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर से जरिये दूरभाष वार्ता कर सुबह 7 बजे उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 01.08.2023 को हस्ब तलबिदा परिवादी श्री अर्जुनलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ के सदस्य उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी व गवाहों का आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहों को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा की जाने वाली कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् परिवादी व गवाहों की उपस्थित में दिनांक 27.07.2023 व दिनांक 31.07.2023 को परिवादी व आरोपिता श्रीमती अंजू के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर में रिकोर्ड है को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर शब्द ब शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से दो डी वी डी में उक्त वार्ता को राईट/बर्न किया गया। एक डी वी डी को प्लास्टिक के कवर में रखकर शिल्ड किया गया तथा एक डी वी डी को आईओ हेतु खुली रखी गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपडे की थैली में रखकर शिल्डचिट किया गया। इसके बाद परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये प्रस्तुत किये। जिन पर कार्यालय के श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर परिवादी की पेट की सामने की दांहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी व गवाहों को दृष्टांत देकर फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट एव दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.10 एएम पर मन उप अधीक्षक पारसमल मय दोनों गवाहान, श्री मनफूल कानि., श्री रामचन्द्र हैड कानि. मय प्राईवेट वाहन, श्रीमती कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक, मय जाप्ता श्री हुकमाराम कानि., श्रीमती सुशीला महिला कानि. 3050 व सुश्री कमलेश महिला कानि. 3043 मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन एवं परिवादी श्री अर्जुनलाल मय कानि. श्री भरतसिंह के परिवारी की स्वयं की कार से एसीबी इन्टै. अजमेर से रवाना होकर समय करीब 10.40 एएम पर पटवार संघ विश्रांति घर किशनगढ के आसपास पहुंचे। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर चालु कर रिश्वत राशि देने हेतु आरोपिता पटवारी श्रीमती अंजू के पास पटवार संघ विश्रांति घर में भिजवाया। समय 10.52 एएम पर परिवादी ने श्री भरतसिंह कानि. को फोन कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया। जिस पर श्री भरतसिंह कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान को हाथ से ईशारा कर बुलाया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पटवार संघ विश्रांति घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां पर श्री रामचन्द्र हैड

कानि. व श्री भरतसिंह कानि. खडे मिले जिन्हें साथ लेकर पटवार संघ विश्रांति घर में प्रवेश किया तो उक्त विश्रांति घर में दांहिनी ओर लगी टेबल कुर्सी पर एक महिला बैठी थी तथा सामने की कुर्सी पर परिवादी अर्जुनलाल बैठा हुआ नजर आया जिनके पास पहुंचे। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकोर्डर प्राप्त कर बंद किया गया। परिवादी ने सामने लगी कुर्सी पर बैठी महिला जिसने पीले कलर की साडी पहनी हुई जिसकी ओर ईशारा कर बताया कि "यहीं पटवारी अंजू जी है जिन्होंने अभी अभी मेरी बहन मनराज के नाम नामान्तरण खोलने के मेरे से 2000 रूपये मांग कर अपने हाथ से गिनकर अपने हैण्ड पर्स में रख लिये।" इस पर उक्त महिला को मन उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती अंजू सैनी पत्नी वेदराज गहलोत, जाति माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी डेयरी के पास बालाजी मंदिर के सामने घुघरा घाटी अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर होना बताया। पटवारी श्रीमती अंजू को परिवादी अर्जुनलाल से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि "इसने प्रेम से दिये है इसलिये मैंने लेकर रख लिये है जो मेरे पर्स में पडे है, गलती हो गई वापस ले लो।" इसके पश्चात् ट्रैप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकालकर उन्हें पुनः साफ पानी से धुलवाये जाकर विश्रांति घर में रखी हुई पानी की बोतल से दोनों गिलासों में पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना बताया। उक्त घोल के एक गिलास में श्रीमती अंजू सैनी के दांहिने हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमेला व दूसरे गिलास में बांये हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को चार अलग–अलग कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सुरक्षित रखा गया। श्रीमती अंजू सैनी की निशादेही से रिश्वत राशि गवाह श्री नरेश कुमार से श्रीमती अंजू सैनी के मिनी डायपर बैग जिसका प्रयोग हैण्ड पर्स के रूप में किया जा रहा है में से 500–500 रूपये के नोट निकलवाये जाकर पूर्व में तैयार की फर्द पेशकसी एवं दृष्टांत से मिलान करने की कहने पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान कर हूबहू होना बताया व गिनकर 2000 रूपये होना बताया। उक्त नोट एवं मिनी डायपर बैग गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। उक्त स्थान पर काफी भीड भाड होने से अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान, आरोपिया मय एक कपडे का बैग जिसमें कागजात रखे हुए है सहित व जब्तशुदा आर्टिकल के रवाना होकर इस समय पुलिस थाना मदनगंज किशनगढ अजमेर पहुंचे और अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की। जप्तशुदा दांहिने हाथ के धोवन की शिशियों को शील्डचिट कर मार्क **RH1, RH2** व बांये हाथ के धोवन की शिशियों को शील्डचिट कर मार्क **LH1, LH2** अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। जप्तशुदा रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के चार नोट कुल 2000 रूपये के नोटों को एक पीले रंग के लिफाफे में रखकर शिल्डचिट कर मार्क **N** अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास को पुनः साफ कर पुलिस थाने से साफ पानी मंगवाकर गिलास को भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाने पर सभी ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् उक्त घोल में एक रूई का फोआ डूबोकर डायपर बैग में जहां रिश्वत राशि रखी हुई थी के स्थान को रगडकर गिलास में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर शिल्डचिट कर मार्क कमशः **P1** व **P2** अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। डायपर बैग की तलाशी ली गई तो नगदी मिली जिसमें एक 500 रूपये का नोट एक सौ रूपये का नोट, एक 50 रूपये का नोट, एक 20 रूपये का व तीन नोट 10 रूपये का कुल 700 रूपये पाये गये। 500 रूपये के नोट के नम्बरों का मिलान परिवादी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपिता को दिये गये 500–500 रूपये के दो नोट

जिनका फोटोग्राफ लेकर प्रिन्ट लिया गया था से मिलान करने पर 500 रूपये के एक नोट नम्बर 2LN874226 का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त पांच सौ रूपये के नोट नम्बर 2LN874226 वजह सबूत होने से एक पीले रंग के लिफाफे में रख कर शिल्डचिट कर मार्क N1 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करा कब्जे एसीबी लिया गया। शेष राशि 200 रूपये, एक स्कूटी की चाबी मंगलसूत्र सोने जैसी धातु का, एक एटीएम एसबीआई का, श्रीमती अंजू का आरजीएचएस कार्ड, एक आधार कार्ड, एक जनआधार कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, आठ चाबियां मिली जो श्रीमती अंजू सैनी को लौटायी गई। उक्त मिनी डायपर बैग नीला सफेद रंग का जिस पर अग्रेजी में पेम्पर्स पेन्टस नम्बर 1 चॉईस ऑफ डॉक्टरस लिखा हुआ है के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्डचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो बताया कि "अर्जुनलाल ने अपनी बहन श्रीमती मनराज पत्नी स्व. श्री करतार जाट निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर द्वारा राजस्व ग्राम बीती में श्री मूलसिंह पुरोहित से खरीदशुदा जमीन खसरा नम्बर 447/167 रकबा 1.0113 हेयक्टर का 1/3 हिस्सा खरीदने से संबंधित रजिस्ट्री दिनांक 17.07.2023 की फोटो प्रति दिनांक 26.07.2023 को देते हुये नामान्तरण खोलने के लिये कहा जिस पर मैंने दिनांक 28.07.2023 को ऑनलाईन नामान्तरण क्रम संख्या 901 दिनांक 28.07. 2023 को भर दिया था जिसका प्रिन्ट लेकर मेरे पास रखी कपडे की थैली में रखे कागजों में है जो निकालकर प्रस्तुत कर रही हूं।" श्रीमती अंजू सैनी द्वारा परिवादी की बहन श्रीमती मनराज के नाम खोले गये नामांतकरण संख्या 901/ 28.07.2023 की दो प्रिन्ट जिन पर अंजू द्वारा अपनी हस्त लेखनी में "श्रीमान् जी विक्रय पत्र का नामा भरकर आई एल आर साहब को पेश है" अंकित कर अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर रखे है, एवं श्रीमती मनराज के नाम की रजिस्ट्री की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जिन्हें बाद अवलोकन संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। डिजिटल वॉईस रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन के समय की वार्ता रिकोर्ड होना पाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपिता का नाम अंजू शर्मा लिखा है जबकि आरोपिता का नाम अंजू सैनी है, इस संबंध में परिवादी श्री अर्जुनलाल से पूछने पर बताया कि मैंने इनका नाम अंजू शर्मा ही सुना था इसलिए अंजू शर्मा ही लिखा था। आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पटवारी पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री अर्जुनलाल की बहन श्रीमती मनराज द्वारा ग्राम बीती में खरीदशुदा भूमि का श्रीमती मनराज के नाम नामान्तरण खोलने के लिए 3000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर दिनांक 27.07.2023 को वक्त सत्यापन 1000 रूपये परिवादी से प्राप्त करना व दिनांक 31.07.2023 को पुनः सत्यापन पर 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आज दिनांक 01.08.2023 को 2000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने मिनी डायपर बैग (हैण्ड पर्स) में रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद पाया जाने से आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पटवारी, पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ, अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी का हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। बाद ट्रैप कार्यवाही रवाना हो एसीबी इन्टै. अजमेर पहुंचे। रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर में रिकोर्ड है को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर शब्द ब शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई तथा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से दो डी वी डी में उक्त वार्ता को राईट/बर्न किया गया। एक डी वी डी को प्लास्टिक के कवर में रखकर शिल्ड किया गया तथा एक डी वी डी को

आईओ हेतु खुली रखी गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपडे की थैली में रखकर शिल्डचिट किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पत्नी वेदराज गहलोत, जाति माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी डेयरी के पास बालाजी मंदिर के सामने घुघरा घाटी अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री अर्जुनलाल की बहन श्रीमती मनराज पत्नी स्व. श्री करतार, जाति जाट निवासी कुम्हारों की ढाणी, छोटा लाम्बा, अराई द्वारा ग्राम बीती में खरीदशुदा भूमि का श्रीमती मनराज के नाम नामान्तरण खोलने के लिए 3000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर दिनांक 27.07.2023 को वक्त सत्यापन 1000 रूपये परिवादी से प्राप्त करना व दिनांक 31.07.2023 को पुनः सत्यापन पर 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 01.08.2023 को 2000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने मिनी डायपर बैग (हैण्ड पर्स) में रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होना एवं आरोपिता के बांये हाथ, मिनी डायपर बैग के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पटवारी, पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ, अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः उक्त आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पत्नी वेदराज गहलोत, जाति माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी डेयरी के पास बालाजी मंदिर के सामने घुघरा घाटी अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(पारसमल)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टै. अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे., अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अंजू सैनी पत्नी वेदराज गहलोत, हाल पटवारी, पटवार हल्का बीती, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 208/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक: 2472-75 दिनांक 02.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे., अजमेर।

2.8.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।